Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा एसीबी की जयपुर नगर निगम में ट्रैप कार्यवाही, मैरिज रजिस्ट्रार एवं कर्मचारी 12,500/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 02 जुलाई,2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई कोटा द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **नगर निगम, लालकोठी, जयपुर में पदस्थापित मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह एवं कर्मचारी राकेश चौधरी** को परिवादी से 12,500/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. कोटा श्री विजय स्वर्णकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी आर्य समाज मन्दिर, प्रताप नगर, जयपुर में प्रधान पद पर कार्यरत है तथा उनके द्वारा गरीब एवं दहेजरहित विवाह सम्पन्न कराने के पश्चात उन विवाहों का पंजीयन नगर निगम, लालकोठी, जयपुर स्थित मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाता है। विवाह पंजीयन का निर्धारित शासकीय शुल्क 110 रुपये होने के बावजूद मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह एवं कर्मचारी राकेश चौधरी द्वारा प्रति विवाह पंजीयन 2,500/– से 3,000/– रुपये तक रिश्वत राशि की मांग की जाती थी। रिश्वत राशि नहीं देने पर पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में अनावश्यक कमियां बताकर परिवादियों को परेशान किया जाता था।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी विक्रम सिंह द्वारा अपने कर्मचारी राकेश चौधरी के माध्यम से रिश्वत राशि की मांग किए जाने की पुष्टि हुई।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओम प्रकाश मीणा** के निर्देशन में मांग की पुष्टि होने के उपरांत आज दिनांक 02.07.2026 को ए.सी.बी. कोटा रेंज के **पुलिस उप अधीक्षक श्री अनीस अहमद** के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल द्वारा कार्रवाई करते हुए नगर निगम, लालकोठी, जयपुर स्थित कार्यालय में दोनों आरोपियों को परिवादी से 12,500/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी कर्मचारी राकेश चौधरी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से विभिन्न गड्डियों के रूप में 38,000/– रुपये की अतिरिक्त नकद राशि भी बरामद हुई है, जिसके संबंध में पूछताछ एवं जांच की जा रही है। आरोपियों के निवास स्थानों की खाना तलाशी एवं अन्य संभावित ठिकानों पर वैधानिक कार्रवाई जारी है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।